Reg.No.59/Karauli/2004-05
Reg. Raj.Act 1958
Reg. NEETI AAYOG No. RJ/2019/0229750
रजिस्टर्ड
Reg. 12(A) No.- AAGAK3471NE20213
रजिस्टर्ड
Reg. 80(G) No.- AAGAK3471NF20229
BRN N0.- 8005070003000043

Mob. +91 9413431691
E-Mail : ksvssraj@gmail.com
दिव्यांगजन व्यक्तिअधिकार अधि02016 की धारा 51(2) में
किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 4(1) में

काव्या शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान

लवानियां भवन ब्रह्मपुरी 132 K.V. G.S.S. कॉलोनी के पास, करौली (राज0)

वार्षिक प्रतिवेदन – 2021–22

1. **प्रस्तावना** :– काव्या शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान करौली द्वारा पिछले वर्षो में संचालित कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभवों, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये कार्यक्रम संचालन आम जनता के सहयोग से संचालित करती आ रही है। राजस्थान राज्य का करौली जिला पिछडा होने के कारण शिक्षा की कमी, गरीबी एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछडा है।
2. **मानसिक विमंदित पुर्नवास गृहः–** संस्था द्वारा करौली में मानसिक मंदित बालको के क्षेत्र में समय पर चिन्हिकरण किया गया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओ का लाभ दिलाने में संस्था का पुरजोर प्रयास देखा गया। इस वर्ष में संस्था में सरकार व भामाशाहो के सहयोग से 120 बच्चों को योजनाओ से जोडा व आर्थिक मदद भी करवाई गई वहीं मानसिक विमंदित पुर्नवास गृह का निरंतर कई वर्षो से संचालन कर ऐसे बच्चों का भविष्य बनाने में सहयोग किया जा रहा है तथा सरकार की दिव्यांगजनों के परि वारों को कृत्रिम अंग के आवेदन भरवाये गये।

मानसिक विमंदित दिव्यांगजनो का मनोचिकित्सको द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य का निरीक्षण व उचित परामर्श तथा उपचार। उनको आवास सुविधा प्रदान करना तथा कुशल व दक्ष कार्मिको द्वारा उनकी देखभाल करवाना। समुचित पोशाहार तथा अत्यन्त जरूरतमदो को विशेष पोशाहार की सुंविधा प्रदान करना जिससे उनके स्वास्थ्य व शारिरीक बढोतरी में सुविधा हो। प्रशिक्षित योग शिक्षिक द्वारा उनको नित्य योगा, प्राणायाम व ध्यान कराना जिससे की उनका मानसिक विकास हो सके आदि गतिविधियों के द्वारा दिव्यांगजनों का समुचित विकास करवाने का प्रयास किया जाता है।

3. **पर्यावरण जागरुकता/वृक्षारोपण कार्यक्रम** :– राजस्थान राज्य के अधिकांश जनपद सूखाग्रस्त होने के कारण हरियाली का अभाव रहने, हवा के साथ धूल उडने से पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। नादौती जनपद भी सूखाग्रस्त है तथा अधिकांश वृक्ष सूखते देखे गये जिससे पर्यावरण दूषित होने लगा साथ ही ग्रामीण क्ष्ज्ञेत्रों मे सफाई सुविधाओं के अभाव में पर्यावरण जागरुकता शिविरों का अयोजन कर ग्रामीणों को पर्यावरण महत्व, पर्यावरण दूषित होने के कारणों, वृक्षों की उपयोगिता से अवगत कराते हुये समिति द्वारा ग्रामीण लोगों को वृक्षारोपण करने, वृक्षों की रक्षा करने व काटने पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी। साथ ही घरों में शौचालय निर्माण, मृत पशुओं को जमीन में दफनाने, घरों, गलियों एवं नालियों की सफाई रखने हेतु प्रेषित किया गया।
4. **पशु संरक्षण कार्यक्रम** :– काव्या शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान करौली ने करौली जिले में पशुओं के चारे का अभाव रहता है। गरीब किसान, एवं पशु पालक दूध न देने वाले पशुओं को खुला छोड दिया जाता है ऐसी स्थिति में ये पशु अवारा होकर गांवो, शहरों एवं गरीब किसानों के खेतों में घूमते रहते है जो लोगों को नुकसान पहुंचाते है या पशु तस्कर उन्हें पकड कर वध करने हेतु कत्ल खाने हेतु ले जाया जाता है। समिति द्वारा शिविर लगाकर लोगों को पशु संरक्षण प्रेरित किया गया। यदि पशु पालक अपने पशु का पालन नहीं कर पा रहा है तो वह उसे लावारिस न छोडकर अपने नजदीक की गौशाला में पहुंचावे जिससे आम जीवन प्रभावित न हो। सभी लोगों ने पशु संरक्षण करने का प्रण लिया।
5. **कामकाजी बालक शिक्षा** :– समिति के कार्यशील सदस्यों द्वारा जिला करौली के गांवों में शिक्षा साधनों के अभाव को देखते हुये समिति भारत सरकार के सहयोग से गरीब, असहाय एवं कामकाजी बच्चों हेतु एक विधालय का संचालन कर रही है तथा राष्ट्रीय मुक्त विधालय के माध्यम से किशोरों और बालकों को आठवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम संचालित कर रही है।
6. **महिला जागरुकता एवं सशक्ति कार्यक्रम** :– महिलाओं में शिक्षा की कमी, सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, महिलाओं पर अत्याचार की अधिकता, बेरोजगारी एवं परिवारों में बढती गरीबी को देखते हुये समिति द्वारा गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी पंचायत समिति नादौती के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति, पिछडे वर्ग बाहुल्य ग्रामों का चयन कर परिवारों का सर्वेक्षण किया तथा महिलाओं की सूची तैयार कर ग्राम पंचायत सदस्यों, परिवार के मुखिया के सहयोग से समूहों एवं व्यक्तिगत महिलाओं से समिति द्वारा आयोजित शिविर मे उददे्श्यों की जानकारी देते

हुये उन्हें शिविर में भाग लेने हेतु आमन्त्रित किया तथा चयनित स्थान शिविर के माध्यम से निम्न जानकारियों से अवगत कराया।

1. महिलाओं में शिक्षा की कमी के कारण जीवन में शिक्षा का महत्व एवं परिवारों के बच्चों, विशेषकर लडकियों की शिक्षा के प्रति महिलाओं का दायित्व।
2. क्षेत्र में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, अत्याचारों के कारण, एवं अत्याचारों को समाप्त करने में महिलाओं की भूमिका।
3. परिवारों एवं समाज में महिलाओं के कर्तव्य एवं महत्व।
4. बाल विवाह से महिलाओं के स्वास्थ्य एवं विकास पर पडने वाले प्रभावों की जानकारी के साथ–साथ बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने में महिलाओं की भूमिका तथा बाल विवाह रोकने में उनके प्रयास।
5. दहेज प्रथा से परिवारों पर पडने वाले प्रभाव, महिलाओं पर अत्याचार तथा दहेज प्रथा रोकने में महिलाओं की भूमिका।
6. केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा महिलाओं, बच्चों हेतु संचालित कार्यक्रमों की जानकारी।
7. प्रत्येक योजना की विस्तृत जानकारी, संबंधित विभाग/अधिकारी पात्रता, सहायता राशि (ऋण, ब्याज दर) वापसी विधि, मद आदि।
8. गरीब निराश्रित पीडित महिलाओं हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता।
7. **ग्रामीण पंचायत शिविर** :– संस्था ने इस वर्ष ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित कर सरकार ग्रामीण उन्नति का विशेष ध्यान दे रही है। बजट का अधिकांश भाग गावों के विकास पर खर्च कर रही है। ग्राम पंचायत अब अपने स्तर पर प्रस्तावित कई योजनाऐं स्वीकृत कर सकती है। कई विभाग ग्राम पंचायतों के अधीन दे रही है। इससे अब ग्रामीण जनता को अपने ग्राम पंचायतों से फायदा मिलेगा। जहां महानरेगा योजना के कार्य चल रहे थे
8. **महानरेगा जागृति** :– समिति ने (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना) के बारे में ग्रामीण जनता को समझाने के लिये जिला करौली के प्रमुख शहर एवं गांव करौली, कैलादेवी, मासलपुर, मेंहदीपुरबलाजी, करणपुर, सपोटरा, टोडाभीम, हिण्डौन, नादौती में नरेगा योजनाओं के बारे में समझाया गया। इससे आपको 10 दिन का रोजगार मिलेगा। इसका भुगतान समय पर सरकार देगी। यह योजना विशेष लाभकर है इसके साथ ही कई सामाजिक जानकारियों भी दी गई। वहां संस्था के प्रतिनिधियों ने जाकर उचित मजदूरी दिलवाई। और अकाल राहत में जगह जगह शिविर आयोजित किये गयं। समस्याओं की जानकारी ली गई और इनके समाधान के लिये बताया गया।
9. **स्वच्छता कार्यक्रम** :– काव्या शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान करौली द्वारा जिला करौली में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की गतिविधियों में समुदाय को जोडने का कार्य कर रही है समिति ने अपने स्तर पर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के उददेश्यों को करौली जिले के निवासियों को जागृत किया स्वच्छता के साथ घटकों में गांव की स्वच्छता खुले में शौच जाने से होने वाले रोग व नुकसान व्यक्तिगत स्वच्छता व गंदे पानी का निस्तारण और

अशुद्व पानी से होने वाली हानियों के प्रति समुदाय को जागृत किया है। जिससे सामुदायित स्वच्छता के साथ खुले में शौच जाने पर रोक लगी है लोग शौचालयों का निर्माण कराने लगे है।

10. **एच.आई.वी. एड्स** :– एड्स रोग जो कि असुरक्षित शारीरिक संबंध व प्रदूषित रक्त द्वारा फैलता है, क्षेत्र के लोगों का रोजगार हेतु पलायन ज्यादा है ऐसे में एड्स रोग होने के खतरा ज्यादा है समिति द्वारा एचआईबी व एड्स रोग के होने कारण बचाव एवं लक्षणों के बारे में पंचायत समिति क्षेत्र में एड्स रोग के प्रति एक अभियान चलाया है जिससे चेतना यात्रा, रैलियों प्रशिक्षण व चौपाल बैठकें कर समुदाय को जागृत किया है।
11. **नवजीवन योजना** :– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,करौली के निर्देशानुसार 2021–22 करौली ब्लॉक में नदी,नालें, तालाव की मेडो पर कच्ची शराब बनाना व भण्डारण करना व नशा करना, ऐसे लोगों को चिन्हित करके विभाग को नामजद किया, वहीं ऐसे परिवारों के बच्चों को विधालयों में नामांकण करवाया और छात्रवृति के लिये आवेदन करवाया गया। जिससे ऐसे परिवारों के बच्चें पढने में रुचि लेने लगे है परिवारों के सदस्यों को गलत रास्ते से हटाकर समाज की मुख्यधारा में जोडने का कार्य किया जा रहा है। जिसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में लाभ दिलाना व सुधार के लिये नवजीवन योजना में लिस्ट बनाकर विभाग को सौंपा गया। जिनमें से कुछ लोगों का विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी कराया गया। प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षणार्थियो को रोजगार से जोडा गया तथा उनके बच्चो को शिक्षा से जोडा गया। सरकार से मिलने वाली योजनाओ से लाभान्वित कराने के लिए संस्थान प्रयासरत हैं।
12. **अधंता निवारण कार्यक्रम** :– समिति द्वारा आंखो के रख–रखाव व उपचार हेतु कार्य किया है, राष्ट्रीय अंधता निवारण कैम्पों में क्षेत्र के लोगों को आंखो के ऑपरेशन हेतु भिजवाया है और उनके उचित देखभाल की व्यवस्था की है बच्चों को स्वस्थ्य नेत्र रखने हेतु नुक्कड–नाटक फिल्मों द्वारा प्रेरित किया है एवं 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल पिलवाने की व्यवस्था व देखभाल की है।
13. **नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र** :– वर्ष 2021–22 में जन सहयोग द्वारा एवं संस्थान के सदस्यों के सहयोग से टोडाभीम, हिण्डौन, करौली, मासलपुर, कैलादेवी जिला करौली में संस्थान द्वारा नशामुक्ति पुनर्वास शिविर आयोजित किया गया जिसमें नशे से ग्रसित लोगों को निशुल्क भोजन, आवास, चिकित्सा, परामर्श अनुसार दवाईयॉ देकर इलाज किया गया। जिससे आज कई घरों में खुशी की लहर है। इसके बाद जिले भर के गांव–गांव, ढांणी–ढांणी में नशामुक्ति अभियान चलाया गया, जिसमें मनरेगा मजदूर, स्कूली बच्चें, कोचिंग क्लासेज, लाइब्रेरी सहित अनेक स्थानों पर जा–जाकर नुक्कड, नाटकों के जरिए जागरुकता की गई जिससे करौली जिले में नशा करने वालों की संख्या कम हुई है।
14. **दिव्यांगों के कल्याण के कार्य** :– संस्था द्वारा जिलेभर में दिव्यांगो का सर्वे किया गया, सर्वे कें दौरान जिले में लगभग छह हजार आठ सौ दिव्यांगजनो का सर्वे कर चुकी है। इस वर्ष में दिव्यांगो के लिए उनके सामाजिक, मानसिक, पुर्नवास व आर्थिक रूप से सुदृढ बनाने के लिए भामाशाहो के सहयोग से कृत्रिम अंग वितरित किये गये। जिससें आज दिव्यांगो के मन में संस्था के प्रति अच्छा लगाव है। इसके बाद संस्था द्वारा दिव्यांगो के कल्याण हेतु जिले में एक दिव्यांग विद्यालय का संचालन किया जा रहा हैं। जिसमें उनको उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा एवं सुविधाए दी जा रही हैं। जिसमें

भामाशाहो के सहयोग से जिलेभर के चिन्हित दिव्यांगो में से भी बहुत जरूरतमंद दिव्यांगो को कृत्रिम अंग देकर लाभान्वित किया। इसके बाद दिव्यांगो के बच्चे व परिवारजनो को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओ से लाभान्वित कराया जिसमे दिव्यांगजनो के परिवारो में आज खुशी का माहौल है। सैकडो दिव्यांगो को प्रधानमंत्री रोजगार योजना से ऋण दिलाकर लाभान्वित कराया है, जिससे आज सक्षम होकर अपना रोजगार चलाकर जीवन यापन कर रहे हैं। संस्थान दिव्यांग और बुजुर्ग, असहाय, मानसिक मंदित सहित तमाम लोगो के अधिकारो के लिए कार्यरत हैं।

15. **बालगृह का संचालन :–** संस्था द्वारा गरीब, बेसहारा एवं अनाथ बालकों के लिये मासलपुर तहसील में बालगृह एक यूनिट (50 बालकों हेतु) प्रेतराज सरकार बालगृह, मासलपुर के नाम से दिनांक 08.04.2020 से संचालित किया जा रहा है जिसका बाल अधिकारिता विभाग एवं बाल कल्याण समिति द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अधिकारियों द्वारा बालकों को दी जा रही सुविधाओं को अच्छा बताया एवं संस्था द्वारा बालगृह का संचालन संतोषप्रद किया जा रहा है। बालगृह में आवासित बालको की स्वास्थय, शिक्षा, मनोरंजन, खेल, पोशाक आदि पर उचित ध्यान दिया जा रहा है।
16. **वृद्वों के कल्याण हेतु कार्य** :– संस्था द्वारा करौली जिले में वृद्वों के कल्याण के लिये संस्था गम्भीर रुप से कार्य कर रही है जिसमें वृद्वों का चिन्हीकरण, उनकी पूरी जानकारी, समय–समय पर दवाई, कपडें, मनोरंजन, भोजन व रहना की व्यवस्था संस्था द्वारा भामाशाहों के सहयोग से की जा रही है।
17. **शिक्षा :–** समिति कार्यशील सदस्यों द्वारा करौली जिले के कुछ गांव में शिक्षा साधनों को देखते हुये समिति गरीब एवं असहाय बच्चों हेतु एक कोचिंग का संचालन कर रही है राष्ट्रीय मुक्त विधालय के माध्यम से किशोरों और बालकों को आठवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम संचालित कर रही है। एक कोचिंग में छात्र संख्या 100 रही है।
18. **समाज कल्याण के कार्य :–** काव्या शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान करौली ने करौली, हिण्डौन में मानसिक विमंदित विधालय व मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह संचालित है करौली जिले में समाज कल्याण विभाग की योजना जैसेः– पालनहार, विधवा पेंशन, विकलांग सहायता आदि का प्रचार–प्रसार कर क्षेत्र के लोगों को लाभ दिलवाया गया है।
19. **स्वास्थय स्वच्छता संबंधी कार्यः–** काव्या शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान, करौली ने जिले की समस्त पंचायत समिति स्तर पर स्थित सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयो में कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियो को स्वास्थय स्वच्छता सुरक्षा संबंधी शिक्षा प्रचार–प्रसार प्रत्येक विद्यालयो में संस्थान के कर्मचारियो ने किया। जिससे विद्यार्थियो को स्वास्थय स्वच्छता सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसेः– हाथ धोने के तरीके, अपने घर, विद्यालय में स्वास्थय संबंधी सुरक्षा व स्वच्छता आदि प्रदान की गई। संस्थान की इस पहल से अधिक से अधिक विद्यार्थियो को स्वास्थय स्वच्छता सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त हुई जिससे वह आगामी भविष्य मे स्वास्थय स्वच्छता संबंधी चुनौतियो का सामना करने के लिए तैयार रहें।
20. **दीनदयाल डिसएबल रिहेबिलेशन स्कीमः–** काव्या शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान, करौली द्वार जिले में मानसिक विमंदित विद्यालय संचालित है जिसको भामाशाहो के सहयोग से संचालित किया जा रहा हैं।

21. **भिक्षावृत्ति, असहाय, वृद्ध और दिव्यांग का सर्वेः–** काव्या शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान, करौली द्वारा जिले की समस्त पंचायत समिति करौली, हिण्डौन, सपोटरा, टोडाभीम, नादौती, मासलपुर, सूरौठ, मण्डरायल में ऐसे लोग जो भिक्षावृत्ति में संलग्न है तथा वे लोग जो असहाय, वृद्ध और दिव्यांग है उनका संस्थान के कर्मचारियो द्वार क्षेत्र विशेष में जाकर सर्वे किया गया। जिसमें पाया गया कि इन सभी लोगो की स्थिति ठीक नही है सरकार से पेंशन के अलावा कोई सहयोग नही मिला जिसमें कैलादेवी, बालाजी, खोहरी, करणपुर, नरसिंह बांधुआ, मदनमोहनजी मंदिर, करौली व जिले के समस्त सरकारी व निजी बस स्टैण्ड पर 370 लोगो को भिक्षावृत्ति में चिन्हित किया गया। जिसमें 50 प्रतिशत बच्चो भी शामिल है। इस मामले में सरकार को पत्र भेजकर व जिला प्रशासन से मिलकर ऐसे लोगो को एक होम बनाकर खाना, पीना व रहना जैसी सुविधाएं देने व बच्चों को शिक्षा से जोडने के लिए आग्रह किया गया है।

22. **कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रमः–** काव्या शिक्षा एवं विकास सेवा संस्थान, करौली द्वारा जिलेभर में सर्वे करके चिन्हित किये गये दिव्यांगजनो को संस्थान द्वारा कृत्रिम अंगो का वितरण किया गया। जिससे उनके व परिजनो के चेहरे खिल उठे। छोटे–मोटे रोजगार से भी कुछ लोगो को जोडा है और कुछ और को भी जोडने का प्रयास जारी है।